प्रतिलिपि आदेश दिनांक 28-8-19 पारित द्वारा श्री इकबाल सिंह बैंस अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक विविध-621/2019/धार/भू.रा. विरूद्ध कलेक्टर धार के पत्र क्रमांक 937 / रीडर-1 /2019 धार दिनांक 08-04-2019 जिसके द्वारा कलेक्टर जिला धार के प्रकरण क्रमांक 25/2014-15/अ-21 आदेश दिनांक 30-03-15 के पुर्नाविलोकन की अनुमति चाही गयी है ।

मध्यप्रदेश शासन .....आवेदक

विरूद्ध

अशोक पिता मोतीलाल पाटीदार कुलमी
निवासी- ग्राम देदला हॉल मुकाम मनावर .....अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **विविध 06[illegible]1/2019/धार/भू.रा.**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-8-19	न्यायालय कलेक्टर, जिला धार ने पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 01/सन् 2018-19 दर्ज किया तथा जांच उपरांत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति के लिए उसे प्रेषित किया है । 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि जिला कलेक्टर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/2014-15/अ-21 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2015 से पूंजा पिता विरजी पाटीदार जाति कुलमी निवासी मनावर जिला धार को संहिता की धारा 165 (6क) के अन्तर्गत अपने स्वामित्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दी गई । प्रश्नाधीन भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए परिवर्तित किया गया था तथा उस पर कॉलौनी निर्माण के लिए संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ने आवासीय अभिन्यास अनुमोदित किया । 3/ जिला कलेक्टर के द्वारा दी गई अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन थी, जिसका विस्तृत उल्लेख आदेश दिनांक 30-3-2015 की कंडिका 3 में दिया गया है । न्यायालय कलेक्टर के समक्ष अशोक पिता मोतीलाल पाटीदार ने यह आवेदन किया कि कॉलौनी में विकसित भूखण्डों में से एक भूखण्ड क्रमांक 75 को दो हिस्सों में विभाजित कर पूंजा पिता विरजी ने भूखण्ड क्रमांक 75 ए विक्रय कर दिया । इसी धोखाधड़ी के आधार पर उसने न्यायालय कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि पूंजा पिता तिरजी को दी गई प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय को निरस्त किया जाये । उक्त आवेदन पत्र पर विचार करने के पश्चात जिला कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 25/2014-15/अ-21 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2015 को पुनर्विलोकन करने की अनुमति चाही गई । 4/ अभिलेखों का अध्ययन किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 30-3-2015 को पारित आदेश की कंडिका 3(10) निम्नानुसार है:- "किसी भी शर्तों के उल्लंघन के कारण यह अनुमति स्वमेव	

निगरानी-0621/2019/सागर/भू.रा.

निरस्त मानी जावेगी ।"

5/ यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165 (6क) के अंतर्गत दी गई अनुमति कतिपय शर्तों के अध्याधीन थी । विक्रेता भूमिस्वामी से यह अपेक्षा होती है कि वह इन शर्तों का पालन करे और यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी अनुमति को निरस्त करने का अधिकार उसी सक्षम प्राधिकारी को होता है, जिसने सशर्त आदेश जारी किया । अगर शर्तों के उल्लंघन के आधार पर भी किसी अनुमति को बिना पुनर्विलोकन के निरस्त नहीं किया जा सकेगा तो ऐसी शर्तें लगाने का अर्थ ही नहीं रहेगा । अर्थात अगर अनुमति किसी शर्त के अधीन दी गई है तो उसका उल्लंघन होने पर उसे निरस्त किये जाने की शक्ति अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकारी में निहित है । हालांकि शर्त क्रमांक 3(10) में शर्तों के उल्लंघन होने पर अनुमति स्वमेव निरस्त माने जाने का प्रावधान है परन्तु फिर भी स्वमेव निरस्तगी को विधिक रूप से क्रियान्वित करना होगा । अर्थात अनुमतिधारी को शर्तों का उल्लंघन होने के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र देकर सुनवाई का अवसर देकर ही यथोचित आदेश किया जाना चाहिए । इसके लिए पुनर्विलोकन की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

6/ जिला कलेक्टर द्वारा तदनुसार प्रेषित पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । जिला कलेक्टर अपने आदेश दिनांक 30-3-2015 के अध्याधीन उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अनुमति निरस्त करने की विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये ।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष